


रॉड इन्फिकारी मुकाम रूनी
 5/17/21 बनाम करण सिंह वर्मा
 नं.....सन्.....

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील में
जारी हुए

आज यह दावा श्री सतीश वर्मा Adv.
 द्वारा अर्जेंट धारा 53, 188 RTA
 द्वारा पेश किया, दावा रफि कर
 प्रतिवारीग को नोटिस जारी हो।
 पत्रावली दिनांक 05/10/21 को पेश हो।



आज यह पत्रावली उपरोक्त से राज्य सरकार के निर्देशों की
 पालना में कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत...
 में दिनांक...13/11/21... को पेश होने वाले तलब होकर
 पेश हुई। पदाकारन को कैम्प कोर्ट/राजस्थ लोक अदालत
 ग्राम पंचायत... में उपस्थित होने बाबत नोटिस
 जारी हो। पत्रावली दिनांक...13/11/21... को कैम्प कोर्ट/
 राजस्थ लोक अदालत ग्राम पंचायत... पेश हो।

उपसप्ट अधिकारी
 रूनी जिला अलवर

13/11/21

आज यह पत्रावली प्रशासन गोलो के मंत्र
 कठिमान 2021 कैम्प कोर्ट राजस्थ लोक अदालत
 पेश हुई। वादी मानवेन्द्र सिंह ने प्रार्थना
 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि यह
 वाद को कोर्ट नहीं चलाना चाहते हैं।
 अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर
 उक्त प्रकरण ड्रॉप किया जा रहा है। पत्रावली
 फ़ैसल शुमार होकर रफि कर से मय भी जाने
 वाद को कोर्ट नफरत करिवाल हो।

मानवेन्द्र सिंह
 रूनी
 मानवेन्द्र सिंह
 प्रशासन गोलो
 उक्त वाद को मांगी नहीं
 चलाना चाहता
 किशोर सिंह की वधा
 करे
 मानवेन्द्र सिंह

पोस्टासन अधिकारी
 प्रशासन गोलो के संग अभियान 2021
 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत...
 उपसप्ट अधिकारी रूनी (अलवर)